

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ०सं०नि०-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-  
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय  
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के  
आलोक में लिया गया है, के क्रम में पटना जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन  
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता   | - | अध्यक्ष    |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी  | - | सदस्य सचिव |
| <b>(क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य  | - | सदस्य      |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य   | - | सदस्य      |
| <b>(ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 5. उप विकास आयुक्त   | - | सदस्य      |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक  | - | सदस्य      |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी   | - | सदस्य      |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी   | - | सदस्य      |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम   | - | सदस्य      |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद्   | - | सदस्य      |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन  | - | सदस्य      |
| <b>(ग) महिला प्रतिनिधि</b>   |   |            |
| 12. श्रीमती उषा देवी,<br>पति- श्री बुधन राम,<br>ग्राम+पोस्ट- शहरी,<br>प्रखंड-बाढ़, जिला- पटना।       | - | सदस्य      |
| 13. श्रीमती रूबी देवी,<br>पति- श्री मनोज कुमार,<br>ग्राम-चिलबिली, प्रखंड- फलवारीशरीफ,<br>जिला- पटना। | - | सदस्य      |
| <b>(घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 14. श्रीमती सुधा वर्गीज,<br>नारी गुंजन,<br>जमसौत, दानापुर,<br>जिला-पटना।                             | - | सदस्य      |
| 15. श्री अनिल सिंह,<br>जन जागृति प्रयास<br>संस्थान, जय प्रकाश नगर(पो),<br>जिला-पटना।                 | - | सदस्य      |



16. श्री कुमार मणिकांत,  
संकल्पकृत सेवामंत्र,  
ग्राम-महुली, पो0- सुईथा,  
जिला- पटना। - सदस्य
17. श्री अनिल कुमार सिंह,  
पिता/पति-स्व0 योगेन्द्र सिंह,  
सचिव, फार्मस यूथ फाउन्डेशन,  
ग्राम-शहरी, प्रखण्ड-बाढ़,  
जिला- पटना। - सदस्य
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल,  
मे0 अजन्ता प्रोडक्ट्स,  
खजौंची रोड, पटना-4  
मोबाईल नं0- 9431800578 - सदस्य
19. श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता,  
मे0 होटल प्रेसिडेन्ट ऑफ  
फ्रेजर रोड, जिला- पटना। - सदस्य
20. श्री अजय कुमार,  
किसान श्री,  
पिता- स्व0 देवेन्द्र प्रसाद,  
ग्राम+पोस्ट- नगवाँ, प्रखंड-नौबतपुर,  
जिला- पटना  
मोबाईल नं0- 9308020877 - सदस्य
21. श्री अमरजीत कुमार,  
किसान श्री,  
पिता- स्व0 कामता प्रसाद सिन्हा,  
ग्राम- लोदीपुर, चाँदमारी,  
प्रखंड- दानापुर,  
जिला-पटना।  
मोबाईल नं0- 9934713788 - सदस्य
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री सतीश कुमार शर्मा,  
पिता-स्व0 जुगल किशोर सिंह,  
ग्राम-सुल्तानपुर, पोस्ट-कोन्हाईपुर,  
प्रखण्ड- मोकामा, जिला- पटना।  
मोबाईल नं0- 8083663422 - सदस्य
23. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,  
पिता-स्व0 शुलेश्वर सिंह,  
ग्राम- रूपस तिनपाई,  
प्रखण्ड-अथमलगोला,  
जिला-पटना।  
मोबाईल नं0- 9835895299 - सदस्य



24. श्री महेन्द्र सिंह,  
अध्यक्ष,  
किसान सलाहकार समिति,  
फतुहॉ।  
पिता- श्री मरमु सिंह,  
ग्राम-कोलहर, प्रखंड- फतुहॉ,  
जिला- पटना।  
मोबाईल नं०- 9835663203

- सदस्य

25. श्री ओम नारायण सिंह,  
अध्यक्ष, किसान सलाहकार समिति,  
पालीगंज,  
पिता- श्री रामसुरेश सिंह,  
ग्राम- चन्ढोस, प्रखण्ड-पालीगंज,  
जिला-पटना।  
मोबाईल न०- 9204635826


- सदस्य

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डीयल आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार)   
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-२६/२००३ १०६१ दिनांक :- ०३/०९/१५  
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

२. समाहर्ता, पटना से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-२६/२००३ १०६१ दिनांक :- ०३/०९/१५  
प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-२६/२००३ १०६१ दिनांक :- ०३/०९/१५  
प्रतिलिपि :- अधिक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)

अनुरोध है कि अधिसूचना की १००(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।